भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक तं0 .... से ....तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No.|45/2017–18

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
23.12.17	आवेदक **रमेश चन्द्र रवानी**, पिता **स्व0 बुधराम रवानी**, जाति–**कहार (अ.पि.वर्ग.)**, ग्राम–**वार्ड नं0–11, दंदासाई**, पोस्ट–**चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प0 सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**लौड़िया**, खाता नं0–**83**, प्लॉट नं0–**6**, रकवा–**0.57 ए0**, क्रेता **श्रीमति संचारी देवी**, पिता–**पूर्ण चन्द्र** महतो, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)**, ग्राम–**सारासापोस (महुलडीहा)**, पोस्ट–**सोनुआ**, थाना–**सोनुआ**, जिला प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू–हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है । मौजा: **लौड़िया** — थाना सं0: 73 — थाना: चक्रधरपुर — खाता सं0: 83 — प्लॉट सं0: 06 — रकवा एकड़ में: 0.57 ए0 आवेदक को 1,14,000/– **(एक लाख चौदवह हजार)** रूपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 0.57 ए0 को कुल कीमत 1,14,000/– **(एक लाख चौदवह हजार)** रूपए मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते है। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी **चक्रधरपुर** से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित **दिनांक** 16.01.2018 तक मांग करें । अभिलेख दिनांक 17.01.2017 को उपस्थापित करें । लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 23.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर (हस्ताक्षर) 23.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	

मौजा	थाना सं0	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में
लौड़िया	73	चक्रधरपुर	83	06	0.57 ए0

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रता को भूमि क्रय–विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.03.28 10:35:05 +05:30
Location: 10.93.69.133